0542 – 2222689 (O)
0542 – 2223099 (R)

कुलसचिव

Registrar

महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ,
वाराणसी–२२१००२

Mahatma Gandhi Kashi Vidyapith,
Varanasi-221002

पत्रांकः–कु0स0–2सी.समिअ / 1857 / विद्यापरि0बैठक 04–3 / 2013 दिनांकः– 30 नवम्बर, 2013

<u>विद्यापरिषद् की बैठक दिनांक– 26.11..2013 का कार्यवृत्त</u>

मा0कुलपति जी की अध्यक्षता में विद्यापरिषद् की बैठक दिनांक **26.11..2013** को अपराह्न **03:30** बजे डॉ0 भगवान दास केन्द्रीय पुस्तकालय स्थित समिति कक्ष में सम्पन्न हुई जिसमें अधोलिखित सदस्य उपस्थित हुए–

1.	डॉ0पृथ्वीश नाग, कुलपति	अध्यक्ष
2.	प्रो0मंजुला चतुर्वेदी, संकायाध्यक्ष, मानविकी संकाय (विभागाध्यक्ष–मंचकला, उर्दू एवं प्रभारी–पुस्तकालय विज्ञान)	सदस्य
3.	प्रो0कृष्ण कुमार अग्रवाल, संकायाध्यक्ष, वाणिज्य एवं प्रबन्ध0 संकाय	सदस्य
4.	प्रो0कल्पलता पाण्डेय, संकायाध्यक्ष, शिक्षाशास्त्र संकाय (विभागाध्यक्ष–शारीरिक शिक्षा विभाग)	सदस्य
5.	डॉ0सुरेन्द्र बहादुर सिंह, संकायाध्यक्ष, विधि संकाय	सदस्य
6.	प्रो0सत्या सिंह, संकायाध्यक्ष, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संकाय (विभागाध्यक्ष–कम्प्यूटर एवं विज्ञान अनुप्रयोग, गणित एवं सांख्यिकी विभाग)	सदस्य
7.	डॉ0समरजीत सिंह,(कृषि सांख्यिकी), संकायाध्यक्ष, कृषि विज्ञान संकाय (श्री मुरली मनोहर टाउन स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बलिया)	सदस्य
8.	प्रो0रणधीर प्रताप सिंह, विभागाध्यक्ष, अंग्रेजी विभाग	सदस्य
9.	प्रो0अवधेश कुमार सिंह, विभागाध्यक्ष, हिन्दी विभाग	सदस्य
10.	प्रो0उमारानी त्रिपाठी, विभागाध्यक्ष, संस्कृत विभाग	सदस्य
11.	डॉ0सभाजीत सिंह यादव, विभागाध्यक्ष, दर्शनशास्त्र विभाग	सदस्य
12.	प्रो0मुन्नी लाल राम, विभागाध्यक्ष, अर्थशास्त्र विभाग	सदस्य
13.	प्रो0रविप्रकाश पाण्डेय, विभागाध्यक्ष, समाजशास्त्र विभाग	सदस्य
14.	प्रो0लोकनाथ सिंह, विभागाध्यक्ष, मनोविज्ञान विभाग	सदस्य
15.	प्रो0सुरेश कुमार कानोडिया, विभागाध्यक्ष, वाणिज्य विभाग	सदस्य
16.	प्रो0अरविन्द कुमार पाण्डेय, विभागाध्यक्ष, शिक्षाशास्त्र विभाग	सदस्य
17.	प्रो0ओम प्रकाश सिंह, निदेशक, म0मो0मा0हि0पत्र0सं0	सदस्य
18.	डॉ0सत्य प्रकाश सिंह, अमरनाथ मिश्र स्ना0महा0, दूबे छपरा, बलिया।	सदस्य
19.	डॉ0पंचदेव सिंह, देवेन्द्र स्ना0महा0, बिल्थरा रोड, बलिया।	सदस्य
20.	श्री उमानाथ श्रीवास्तव, (मध्यकालीन इतिहास), प्राध्यापक, श्री बलदेव स्नातकोत्तर महा0, बड़ागांव, वाराणसी।(सेवानिवृत्ति की तिथि 16.01.2015 तक)	सदस्य
21.	डॉ0बलवन्त सिंह, डॉ0राम मनोहर लोहिया स्ना0महा0, भैरव तालाब, वाराणसी। (सेवानिवृत्ति की तिथि 16.07.2015 तक)	सदस्य
22.	डॉ0अनिल कुमार गुप्ता, वनस्पति विज्ञान, श्री बलदेव स्नातकोत्तर महा0, बड़ागांव, वाराणसी। (सेवानिवृत्ति की तिथि 13.03.2014 तक)	सदस्य
23.	डॉ0पद्माकर सिंह, सैन्य विज्ञान, कुंवर सिंह स्नातकोत्तर महा0, बलिया।	सदस्य
24.	डॉ0अशोक कुमार सिंह, कृषि रसायन, मुरली मनोहर टाउन स्नातकोत्तर महा0, बलिया।	सदस्य
25.	डॉ0प्रकाश नारायण चौबे, कृषि प्रसार, मुरली मनोहर टाउन स्नातकोत्तर महा0, बलिया।	सदस्य
26.	डॉ0सन्तोष सिंह, शस्य विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय, जक्खिनी, वाराणसी।	सदस्य

27. डॉ0ओम प्रकाश सिंह, आनुवांशिक एवं पादप प्रजनन, मुरली मनोहर टाउन स्नातकोत्तर महा0,बलिया। सदस्य
मो0–9453471268, 05498240828
28. प्रो0श्रद्धानन्द, हिन्दी विभाग सदस्य
29. प्रो0प्रदीप कुमार पाण्डेय, अर्थशास्त्र विभाग सदस्य
30. प्रो0अशोक कुमार सिंह, इतिहास विभाग सदस्य
31. प्रो0अशोक कुमार मिश्र, वाणिज्य विभाग सदस्य
32. प्रो0सुधीर कुमार शुक्ल, वाणिज्य विभाग सदस्य
33. प्रो0कृपाशंकर जायसवाल, वाणिज्य विभाग सदस्य
34. प्रो0राजीव द्विवेदी, इतिहास विभाग सदस्य
35. प्रो0गोपाल प्रसाद नायक, शिक्षाशास्त्र विभाग सदस्य
36. प्रो0शशि देवी सिंह, दर्शनशात्र विभाग सदस्य
37. प्रो0रामचन्द्र पाठक, समाजकार्य विभाग सदस्य
38. प्रो0धर्मनाथ सिंह, समाजशास्त्र विभाग सदस्य
39. प्रो0अजीत कुमार शुक्ला, वाणिज्य विभाग सदस्य
40. डॉ0कृष्णदत्त मिश्र, उपाचार्य, संस्कृत विभाग(सेवानिवृत्ति तिथि 31.01.2014 तक) सदस्य
41. डॉ0राजेन्द्र प्रसाद सिंह, मनोविज्ञान विभाग (01.07.2013 से 30.06.2014 तक) सदस्य
42. डॉ0शम्भू उपाध्याय, मनोविज्ञान विभाग (01.07.2013 से 30.06.2014 तक) सदस्य
43. डॉ0विभूति नारायण मिश्र, मनोविज्ञान विभाग (01.07.2013 से 30.06.2014 तक) सदस्य
44. डॉ0वागीश नारायण त्रिपाठी, गणित, श्री बलदेव स्ना0महा0, बड़ागांव, वाराणसी। सदस्य
(सेवानिवृत्ति की तिथि 05.05.2014 तक)
45. डॉ0हरेन्द्र प्रताप सिंह, राजनीतिशास्त्र कुंवर सिंह स्नातकोत्तर महा0, बलिया। सदस्य
(सेवानिवृत्ति की तिथि 30.06.2014 तक)
46. श्रीमती मंजुला द्विवेदी, बी0एड0(संस्कृत), लालबहादुर शास्त्री स्ना0महा0, मुगलसराय, चन्दौली। सदस्य
(सेवानिवृत्ति की तिथि 31.12.2013 तक)
47. डॉ0राजेश पाल, प्राध्यापक, अर्थशास्त्र विभाग (23.07.2013 से 22.07.2014 तक) सदस्य
48. डॉ0राजमुनि, हिन्दी विभाग (01.07.2013 से 30.06.2014 तक) सदस्य
49. डॉ0बालेश्वर प्रसाद यादव, दर्शनशास्त्र विभाग (01.07.2013 से 30.06.2014 तक) सदस्य
50. डॉ0ओम प्रकाश 'मलिक' संगीत (गायन), कमला माहेश्वरी आर्य कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मिर्जापुर। (01.07.2013 से 30.06.2014 तक) सदस्य
51. डॉ0राजेन्द्र प्रसाद सिंह, संकायाध्यक्ष, छात्र कल्याण संकाय सदस्य
52. श्री शिवराम, पुस्तकालयाध्यक्ष, डॉ0 भगवान दास केन्द्रीय पुस्तकालय सदस्य
53. डॉ0 साहब लाल मौर्य, कुलसचिव सचिव

<u>बैठक में अधोलिखित निर्णय लिये गयेः–</u>

<u>बिन्दु सं0(01)ः–</u> विद्यापरिषद् की गत् बैठक दिनांक 22.08.2013 के कार्यवृत्त की पुष्टि एवं कृत कार्यवाही की सूचना।

<u>निर्णयः–</u> परिषद् ने विचार विमर्श के अनन्तर विद्यापरिषद् की गत बैठक दिनांक 22.08.2013 के कार्यवृत्त को पुष्ट किया एवं कृतकार्यवाही की सूचना को अंकित किया।

<u>बिन्दु सं0(02)ः–</u> परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 25.10.2013 के कार्यवृत्त की पुष्टि पर विचार।

<u>निर्णयः–</u> परिषद् ने विचार विमर्श के अनन्तर परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 25.10.2013 के कार्यवृत्त को अनुमोदित किया।

बिन्दु सं0(03):– संकाय समिति, समाज विज्ञान संकाय की बैठक दिनांक 31.10.2013 के कार्यवृत्त की पुष्टि पर विचार।

निर्णयः– परिषद् ने विचार विमर्श के अनन्तर समाज विज्ञान संकाय समिति की बैठक दिनांक 31.10.2013 में अन्तर्विषयी शोध सम्बन्धी निर्णय को शोध अध्यादेश में समाहित किये जाने के निर्णय के साथ अनुमोदित किया।

बिन्दु सं0(04):– संकायाध्यक्ष, शिक्षा संकाय द्वारा प्रस्तुत एम0ए0(शिक्षा शास्त्र) सेमेस्टर पाठ्यक्रम को पुनः संशोधित कर विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रकरण पर विचार।

निर्णयः– परिषद् ने विचारोपरान्त संकायाध्यक्ष, शिक्षा संकाय के उक्त प्रस्ताव को स्वीकार किया।

बिन्दु सं0(05):– महामहिम कुलाधिपति महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 12.12.2012 को सम्पन्न कुलपति सम्मेलन में आई0क्यू0ए0सी0 में नया रीसर्च सेक्शन खोलने एवं जनवरी, 2014 से शोध हेतु नये आवेदन पत्र आमंत्रित करने हेतु यू0जी0सी0 नेट/जे0आर0एफ0 एवं राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित शोध प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं को भी सम्मिलित किये जाने सम्बन्धी निर्णय पर विचार।

निर्णयः– परिषद् ने विचार विमर्श के अनन्तर निर्णय लिया कि शोध अध्यादेश में दी गयी व्यवस्था के अनुसार शोध सेल का गठन शीघ्र किया जाय और विश्वविद्यालय स्तर पर शोध पंजीकरण हेतु वर्ष 2010 में ली गयी प्रवेश परीक्षा के अभ्यर्थियों को वरीयता के आधार पर महाविद्यालयों में शोध पंजीकरण के साथ यू0जी0सी0नेट/जे0आर0एफ0 एवं राज्य सरकार(फैजाबाद विश्वविद्यालय) द्वारा अयोजित शोध प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को सम्मिलित किया जाय।

बिन्दु सं0(06):– विद्यापरिषद की बैठक दिनंक 13.02.2013 (अध्यक्ष की अनुमति अन्य बिन्दु संख्या–10) के निर्णयानुसार प्रो0 अवधेश कुमार सिंह को विश्वविद्यालय में नर्सिंग एवं पैरा–मेडिकल पाठ्यक्रमों को संचालित किये जाने के लिए परिनियमावली में समाहित करने हेतु परिनियम का प्रारूप प्रस्तुत किये जाने के लिए अधिकृत किया गया था। प्रो0 अवधेश कुमार सिंह द्वारा प्रस्तावित परिनियम के अनुमोदन पर विचार।

निर्णयः– परिषद् ने प्रो0अवधेश सिंह द्वारा प्रस्तावित नियम जो निम्नवत् है, पर विचार विमर्श के अनन्तर क्रमांक–21 पर अंकित नर्सिंग विभाग के सम्मुख कोष्ठक में उल्लिखित ''बी0एस–सी0नर्सिंग, पोस्ट बेसिक नर्सिंग और एम0एस–सी0नर्सिंग'' को हटाने, क्रमांक–26 पर ''दन्त'' के स्थान पर ''नेत्र'' रखने, क्रमांक–30 पर ''प्रयोगशाला'' के स्थान पर ''पैथोलोजी'' रखने तथा क्रमांक–38 के रूप में ''वैकल्पिक चिकित्सा विभाग'' एवं क्रमांक–39 के रूप में ''मानव आनुवांशिक विभाग'' को बढ़ाये जाने के साथ ही प्रस्ताव के ''विशेष'' अंश को यथावत स्वीकार किया।

परिनियम का प्रस्तावित प्रस्ताव		
संक्षिप्त नाम–	यह परिनियमावली म0गां0काशी विद्यापीठ प्रथम परिनियमावली संशोधन 2013 कही जायेगी।	धारा 50(4)
प्रारम्भ–	यह परिनियमावली महामहिम राज्यपाल एवं कुलाधिपति जी की स्वीकृति के उपरान्त प्रवृत्त होगी।	धारा 50(5)
परिनियम खण्ड 7.04(च) में संवर्द्धन	परिनियम खण्ड 7.04(च) चिकित्सा विज्ञान संकाय के अन्तर्गत विभागों की सूची क्रमांक 20 के पश्चात् क्रमशः अधोलिखित विभाग रख दिये जायेगें एवं सदैव रखा हुआ समझा जायेगा।	धारा 27(2) एवं धारा 49

	क्रमांक 21 नर्सिंग विभाग(बी0एस–सी0 नर्सिंग, पोस्ट बेसिक नर्सिंग और एम0एस–सी0 नर्सिंग) क्रमांक 22 फिजियोथेरेपी विभाग क्रमांक 23 फार्मेसी विभाग क्रमांक 24 व्यवहारिक स्वास्थ्य विज्ञान विभाग क्रमांक 25 जीव रसायन विभाग क्रमांक 26 दन्त चिकित्सा विभाग क्रमांक 27 विकिरण चिकित्सा विभाग क्रमांक 28 हृदय रोग विभाग क्रमांक 29 रोग विज्ञान विभाग क्रमांक 30 प्रयोगशाला विभाग क्रमांक 31 स्नायु विज्ञान विभाग क्रमांक 32 ऐनेस्थिसिया(संवेदना हरण) विभाग क्रमांक 33 गुर्दा रोग विभाग क्रमांक 34 अस्थि रोग विभाग क्रमांक 35 मन्द बुद्धि विभाग क्रमांक 36 कान, नाक एवं गला रोग विभाग क्रमांक 37 न्यूक्लीयर मेडिसीन विभाग **विशेषः– विश्वविद्यालय की परिनियमावली के परिनियम खण्ड 7.04(च) में उल्लिखित ''चिकित्सा विज्ञान संकाय में निम्नलिखित पाठ्यक्रम होगें'' के अन्तर्गत क्रमांक 1 से 5 तक अंकित पाठ्यक्रम को तथा ''उक्त पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु निम्नलिखित विभाग होगें'' को विलुप्त करते हुए परिनियम खण्ड 7.04(च) पर ''चिकित्सा विज्ञान संकाय में निम्नलिखित विभाग होगें'' रखना समीचीन होगा।**	
	संशोधन/संवर्द्धन के साथ स्वीकृत प्रस्ताव	
संक्षिप्त नाम–	यह परिनियमावली म0गां0काशी विद्यापीठ प्रथम परिनियमावली संशोधन 2013 कही जायेगी।	धारा 50(4)
प्रारम्भ–	यह परिनियमावली महामहिम राज्यपाल एवं कुलाधिपति जी की स्वीकृति के उपरान्त प्रवृत्त होगी।	धारा 50(5)
परिनियम खण्ड 7.04(च) में संवर्द्धन	परिनियम खण्ड 7.04(च) चिकित्सा विज्ञान संकाय के अन्तर्गत विभागों की सूची क्रमांक 20 के पश्चात् क्रमशः अधोलिखित विभाग रख दिये जायेगें एवं सदैव रखा हुआ समझा जायेगा। क्रमांक 21 नर्सिंग विभाग क्रमांक 22 फिजियोथेरेपी विभाग क्रमांक 23 फार्मेसी विभाग क्रमांक 24 व्यवहारिक स्वास्थ्य विज्ञान विभाग क्रमांक 25 जीव रसायन विभाग क्रमांक 26 नेत्र चिकित्सा विभाग क्रमांक 27 विकिरण चिकित्सा विभाग क्रमांक 28 हृदय रोग विभाग क्रमांक 29 रोग विज्ञान विभाग क्रमांक 30 पैथोलोजी विभाग क्रमांक 31 स्नायु विज्ञान विभाग क्रमांक 32 ऐनेस्थिसिया(संवेदना हरण) विभाग क्रमांक 33 गुर्दा रोग विभाग क्रमांक 34 अस्थि रोग विभाग क्रमांक 35 मन्द बुद्धि विभाग क्रमांक 36 कान, नाक एवं गला रोग विभाग क्रमांक 37 न्यूक्लीयर मेडिसीन विभाग क्रमांक 38 वैकल्पिक चिकित्सा विभाग क्रमांक 39 मानव आनुवांशिकी विभाग **विशेषः– विश्वविद्यालय की परिनियमावली के परिनियम खण्ड 7.04(च) में उल्लिखित ''चिकित्सा विज्ञान संकाय में निम्नलिखित पाठ्यक्रम होगें'' के अन्तर्गत क्रमांक 1 से 5 तक**	धारा 27(2) एवं धारा 49

अंकित पाठ्यक्रम को तथा "उक्त पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु निम्नलिखित विभाग होगें" को विलुप्त करते हुए परिनियम खण्ड 7.04(च) पर "चिकित्सा विज्ञान संकाय में निम्नलिखित विभाग होगें" रखना समीचीन होगा।

पूरक कार्यसूची

बिन्दु सं0(01):– संकायाध्यक्ष, शिक्षा संकाय द्वारा प्रस्तुत पत्र संख्या शि0सं0/269/2013 दिनांक 19.11.2013 द्वारा विश्वविद्यालय परिसर में शिक्षा शास्त्र विभाग के अन्तर्गत बी0ए0शिक्षा शास्त्र एवं एम0ए0शिक्षा शास्त्र पाठ्यक्रम संचालित करने के सम्बन्ध में विचार।

निर्णयः– सन्दर्भगत प्रकरण पर सदन में विचार–विमर्श के समय संकायाध्यक्ष, शिक्षा संकाय ने प्रकाश डाला कि प्रस्तावित बी0ए0शिक्षा शास्त्र का पाठ्यक्रम एन0टी0पी0सी0शक्ति नगर, सोनभद्र परिसर एवं गंगापुर परिसर में संचालित होगा तथा तीन वर्षों के पश्चात् एम0ए0शिक्षा शास्त्र का पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय के मुख्य परिसर में संचालित किया जायेगा। परिषद् ने संकायाध्यक्ष की अभिमत पर अपनी सहमति प्रदान किया। बी0ए0शिक्षा शास्त्र का पाठ्यक्रम आगामी सत्र 2014–15 से संचालित होगा।

बिन्दु सं0(02):– श्री बृजेश कुमार सरोज(अनुसूचित जाति), सुश्री रेखा कुमारी(अनुसूचित जाति) का इतिहास विभाग में शोध पंजीकरण हेतु अवैध ढंग से इतिहास विभाग द्वारा शुल्क जमा कराये जाने के प्रकरण के साथ ही इस सदृष्य अन्य प्रकरणों पर विचार।

निर्णयः– श्री सुधांशु कुमार सिंह द्वारा इतिहास विभाग में सत्र 2007–08 एवं 2008–09 में शोध पंजीकरण में हुई अनियमितता सम्बन्धी राजभवन को की गई शिकायत के क्रम में प्रो0सत्या सिंह, संकायाध्यक्ष, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संकाय की अध्यक्षता में गठित जांच समिति तथा प्रो0ओम प्रकाश सिंह, म0मो0मा0हिन्दी पत्रकारिता संस्थान की अध्यक्षता में गठित उत्तरदायित्व निर्धारण समिति में पाये गये अनियमित रूप से शोध पंजीकरण हेतु अभ्यर्थियों का शुल्क जमा कराया पाया गया जिसकी सूचना राजभवन को भेजी गई। इन्हीं अनियमित रूप से पंजीकृत कुछ छात्रों यथा श्री आलोक कुमार राय, रेखा कुमारी, रविकान्त यादव, विजय कुमार सरोज, शैलपुत्री गुप्ता आदि ने मा0उच्च न्यायालय ने विभिन्न याचिका दाखिल किया। मा0उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के क्रम में विश्वविद्यालय द्वारा प्रकरण पर गम्भीरता से विचार किया और धोखाधड़ी एवं जालसाजी के माध्यम से शोध में पंजीकरण हेतु शुल्क जमा को अवैध मानते हुए प्रकरण को निस्तारित किया। इन्हीं अनियमित शोध हेतु पंजीकृत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों ने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/जनजाति आयोग में प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया। कुलसचिव द्वारा परिषद् को उपर्युक्त तथ्यों से अवगत कराया गया।

परिषद् ने विचार विमर्श के अनन्तर छात्रहित में यह निर्णय लिया कि सत्र 2007–08 एवं 2008–09 में अनियमित रूप से शोध पंजीकरण हेतु जमा कराये गये अभ्यर्थियों का शोध कार्य पूर्ण/नियमित कराये जाने के लिए महामहिम कुलाधिपति महोदय से अनुमति प्राप्त किया जाय।

बिन्दु सं0(03):– संविदा अध्यापक/कर्मचारियों की कार्यावधि 05 वर्ष किये जाने पर विचार।

निर्णयः– परिषद् ने विचार विमर्श के अनन्तर संविदा अध्यापकों/कर्मचारियों की कार्यावधि पांच वर्ष करने का सशर्त निर्णय लिया कि प्रत्येक वर्ष कार्य की समीक्षा की जायेगी।

बिन्दु सं0(04):– संकायाध्यक्ष, शिक्षा संकाय के पत्र संख्या शा0शि0वि0/204/2013 दिनांक 23.11.2013, जो शारीरिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत पी0जी0डिप्लोमा इन नेचुरोपैथी साइन्स एण्ड योगा पाठ्यक्रम संचालन हेतु शिक्षा संकाय समिति की बैठक दिनांक 21.08.2013 में

लिये गये निर्णय के साथ ही शिक्षा संकाय समिति की उक्त बैठक के अनुमोदन पर विचार।

निर्णयः– परिषद् ने विचार विमर्श के अनन्तर संकायाध्यक्ष, शिक्षा संकाय के उक्त प्रस्ताव को स्वीकार किया।

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य बिन्दुओ पर विचार –

बिन्दु सं0(01):– निदेशक, एन0टी0पी0सी0परिसर, शक्ति नगर सोनभद्र के प्रस्ताव ''म0गां0काशी विद्यापीठ एन0टी0पी0सी0परिसर, शक्ति नगर, सोनभद्र में सत्र 2014–15 से स्नातक स्तर पर एक विषय के रूप में भूगोल, शिक्षा शास्त्र, गृह विज्ञान तथा स्नातकोत्तर स्तर पर एम0जे0एम0सी0पाठ्यक्रम के संचालन की अनुमति दी जाय'' को परिषद् स्वीकार करते हुए निर्णय लिया कि पाठ्यक्रम सत्र 2014–15 से संचालित किया जाय।

बिन्दु सं0(02):– कुलपति महोदय द्वारा संकायाध्यक्ष, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा वाणिज्य एवं प्रबन्ध शास्त्र को निर्देश दिया कि बी0सी0ए0 एवं बी0बी0ए0 पाठ्यक्रम का अध्यादेश 15 दिन अर्थात् 11.12.2013 तक तैयार कर प्रस्तुत किया जाय। परिषद् ने सर्वसम्मति से इस पर सहमति प्रदान किया।

बिन्दु सं0(03):– परिषद् ने विचारोपरान्त विभागाध्यक्ष, दर्शन शास्त्र विभाग के प्रस्ताव ''एम0ए0प्रथम सत्र में प्रवेश हेतु दर्शन विषय में त्रिवर्षीय स्नातक होने की बाध्यता को समाप्त किया जाय। अन्य विषय में स्नातक उपाधि प्राप्त विद्यार्थी भी इस हेतु अर्ह माने जाय'' को स्वीकार किया।

बिन्दु सं0(04):– परिषद् ने विचार विमर्श के अनन्तर निर्णय लिया कि वर्ष 2003 एवं 2003 के पश्चात् शोध उपाधि प्राप्त समस्त शोध छात्र/छात्राओं को यू0जी0सी0नियमन 2009 से सम्बन्धित प्रमाण पत्र निर्गत किया जाय।

बिन्दु सं0(05):– बी0ए0तृतीय वर्ष के अर्थशास्त्र विषय के तृतीय अनिवार्य प्रश्न पत्र (परिणात्मक विधियां) के विकल्प के रूप में पर्यावरण अर्थशास्त्र प्रश्न पत्र को सम्मिलित किये जाने सम्बन्धित अमर नाथ मिश्र डिग्री कॉलेज के प्राचार्य, डॉ0एस0पी0सिंह के प्रस्ताव पर परिषद् मा0कुलपति जी ने विशेषज्ञों के राय के आधार पर परिणात्मक विधियां प्रश्न पत्र को अनिवार्य बनाये रखने की संस्तुति की। इसे सदन ने सर्वसम्मति से स्वीकार किया।

अन्त में अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद देकर बैठक समाप्त हुई।

डॉ0(साहब लाल मौर्य)
कुलसचिव